



फूड वेस्ट इंडेक्स रपिर्ट 2024

प्रलिस के लयि:

फूड वेस्ट इंडेक्स रपिर्ट 2024, [संयुक्त राषट्र पर्यावरण कार्यक्रम \(UNEP\)](#), [सार्वजनकि नजिी भागीदारी \(PPP\)](#), [सतत् वकिस लक्ष्य \(SDG\) 12.3](#)

मेन्स के लयि:

फूड वेस्ट इंडेक्स रपिर्ट 2024, फूड लॉस एंड वेस्ट: वर्तमान परदृश्य, कारण, समाधान हेतु पहल

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [संयुक्त राषट्र पर्यावरण कार्यक्रम \(United Nations Environment Programme- UNEP\)](#) और यूनाइटेड कगिडम स्थति गैर-लाभकारी संगठन [WRAP \(वेस्ट एंड रसिर्सेज एक्शन प्रोग्राम\)](#) द्वारा संयुक्त रूप से [फूड वेस्ट इंडेक्स रपिर्ट 2024](#) जारी की गई, जसिके अनुसार भोजन की बर्बादी की ट्रैकिग तथा नगिरानी करने के लयि डेटा बुनयिादी ढाँचे में वसितार एवं सुदृढीकरण करने की आवश्यकता है।

- WRAP एक गैर-लाभकारी संगठन है जो जलवायु कार्रवाई करता है। यह जलवायु संकट के कारणों से नपिटने और ग्रह को एक संधारणीय बनाने हेतु समग्र वशिव में कार्य करता है।
- यह रपिर्ट [भोजन की बर्बादी \(Food Waste\)](#) को मानव खाद्य आपूर्ति शृंखला से हटाए गए भोजन और संबंधति अखाद्य हसिसों के रूप में परभाषति करती है।
- [फसलों और पशुधन](#) की कोई भी मात्रा जो मानव-खाद्य वस्तुएँ हैं, जो बकिरी स्तर के बट्टि के अतरिकित "परत्यक्ष अथवा अपरत्यक्ष रूप से कटाई के बाद/पशुधन पशु उत्पादन/आपूर्ति शृंखला से पूरी तरह से बाहर नकिल जाती हैं", को ["फूड लॉस"](#) कहा जाता है।

नोट:

फूड वेस्ट इंडेक्स रपिर्ट वर्ष 2030 ([SDG 12.3](#)) तक भोजन की बर्बादी को आधा करने में राषट्र स्तरीय प्रगति की नगिरानी करती है। SDG 12 का लक्ष्य [सतत् उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनशिचति करना](#) है।

- यह पहली बार वर्ष 2021 में प्रकाशति की गई थी। वर्तमान रपिर्ट [हालिया और बडे डेटासेट](#) पर आधारति है तथा समग्र वशिव में बर्बाद होने वाले भोजन के पैमाने पर एक [अपडेटे](#) प्रदान करती है एवं साथ ही समाधान के रूप में [सार्वजनकि नजिी भागीदारी \(PPP\)](#) के माध्यम से बहु-हतिधारक सहयोग पर ध्यान केंद्रति करती है।

रपिर्ट से संबंधति प्रमुख बट्टि क्या हैं?

- भोजन की बर्बादी का स्तर:**
 - वर्ष 2022 में वशिव के वभिन्न क्षेत्रों ने 1.05 बलियिन टन भोजन बर्बाद कयिा यानी खुदरा, खाद्य सेवा और घरेलू स्तर [पसभोक्ताओं को उपलब्ध भोजन का पाँचवाँ हसिसा \(19%\)](#) बर्बाद हुआ।
 - [खाद्य और कृषि संगठन \(Food and Agricultural Organization-FAO\)](#) के अनुमान के अनुसार, यह फसल के बाद से लेकर खुदरा बकिरी तक, आपूर्ति शृंखला में लुप्त/नष्ट हो जाने वाले वशिव के 13% भोजन के अतरिकित है।
- खाद्य अपशषित और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:**
 - खाद्य हानि और अपशषित वैश्वकि [ग्रीनहाउस गैस \(Global Greenhouse Ga- GHG\)](#) उत्सर्जन का 8-10% अर्थात् [वमिनान](#)

क्षेत्र से कुल उत्सर्जन का लगभग 5 गुना उत्पन्न करते हैं।

• यह तब होता है जब मानवता का एक तहिय हसिसा खाद्य असुरक्षा का सामना करता है।

■ खाद्य अपशषिट में कम असमानता:

- फूड वेसट इंडेक्स रषोरट- 2021 जारी होने के बाद से, डेटा कवरेज में महत्त्वपूर्ण वसितार हुआ है, जसके परणामस्वरूप औसतन प्रती व्यक्ती घरेलू खाद्य अपशषिट में असमानताओं में उल्लेखनीय कमी आई है।
- उच्च-आय, उच्च-मध्यम आय और नमिन-मध्यम आय वाले देशों में, घरेलूफूड वेसट के औसत स्तर में प्रतिव्यक्ती प्रतविरष केवल 7 कलोग्राम का अंतर देखा गया है।

■ तापमान और खाद्य अपशषिट सहसंबंध:

- ऐसा प्रतीत होता है कि गरम देशों में प्रतिव्यक्ती घरेलू भोजन की बर्बादी संभवतः अधिक ताजे खाद्य पदार्थों के सेवन के परणामस्वरूप ज्यादा होती है जसमें बड़ी मात्रा में अनुपयुक्त घटक शामिल होते हैं और सुदृढ कोल्ड चेन की कमी होती है।
- उच्च मौसमी तापमान, अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ और अनावृष्टि भोजन को सुरक्षित रूप से संग्रहित करना, संसाधित करना, परविहन करना तथा बेचना अधिक चुनौतीपूर्ण बना देता है, जससे प्रायः भोजन की एक बड़ी मात्रा बर्बाद हो जाती है या नष्ट हो जाती है।

■ शहरी-ग्रामीण असमानताएँ:

- मध्यम आय वाले देशों में शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच भन्नता दिखाई देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर भोजन की कम बर्बादी होती है।
- संभावित स्पष्टीकरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए खाद्य पदार्थों को पालतू जानवरों, पशुओं के चारे और घरेलू खाद में अधिक उपयोग करना शामिल है।

■ प्रगतिको ट्रैक करने के लिये पर्याप्त प्रणाली का अभाव:

- कई नमिन और मध्यम आय वाले देशों में वर्ष 2030 तक भोजन की बर्बादी को आधा करने के सतत विकास लक्ष्य 12.3 को पूरा करने के लिये प्रगतिको ट्रैक करने हेतु पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है, वशेष रूप से खुदरा तथा खाद्य सेवाओं में।
- वर्तमान में, केवल चार G-20 देशों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस) और यूरोपीय संघ के पास वर्ष 2030 तक प्रगतिको ट्रैक करने के लिये खाद्य अपशषिट अनुमान उपयुक्त हैं।

■ डेटा भन्नता और उपराष्ट्रीय अनुमान:

- भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भोजन की बर्बादी के संबंध में केवल उपराष्ट्रीय अनुमान हैं, जो व्यापक राष्ट्रीय डेटा में अंतर को उजागर करते हैं।
- रषोरट बताती है कि इस भन्नता के लिये खाद्य अपशषिट परदृश्य के स्पष्ट आँकड़ों के अधिक समावेशी अध्ययन की आवश्यकता है।

खाद्य अपशषिट सूचकांक रषोरट 2024 की प्रमुख सफारशें क्या हैं?

■ G20 देशों की भागीदारी:

- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य अपशषिट के संबंध में जागरूकता तथा शकषा को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक उपभोक्ता रुझानों पर अपने प्रभाव का लाभ उठाते हुए, सतत विकास लक्ष्य (SDG) 12.3 को प्राप्त करने के लिये G20 देशों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं नीतिविकास में अग्रणी भूमिका नभाने हेतु प्रोत्साहित करना।

■ सार्वजनिक नज्जी भागीदारी को बढ़ावा देना:

- भोजन की बर्बादी और जलवायु तथा जल तनाव पर इसके प्रभावों को कम करने के लिये सार्वजनिक नज्जी भागीदारी (Public Private Partnerships- PPP) को अपनाने को प्रोत्साहित करें, लक्ष्य-माप-अधनियम दृष्टिकोण के माध्यम से एक साझा लक्ष्य को सहयोग करने तथा वतारित करने हेतु सरकारों, क्षेत्रीय एवं उद्योग समूहों को एक साथ लाना।

■ खाद्य अपशषिट सूचकांक का उपयोग:

- खाद्य अपशषिट को लगातार मापने के लिये खाद्य अपशषिट सूचकांक का उपयोग करने हेतु देशों का समर्थन, मजबूत राष्ट्रीय आधार रेखाएँ वकसित करना और SDG 12.3 की दशिया में प्रगतिको ट्रैक करना। इसमें वशेष रूप से खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में व्यापक खाद्य अपशषिट डेटा संग्रह की कमी को संबोधित करना शामिल है।

■ प्रतनिधि राष्ट्रीय खाद्य अपशषिट अध्ययन का संचालन:

- डेटा में भन्नता को संबोधित करने और व्यक्तगित तथा प्रणालीगत दोनों स्तरों पर भोजन की बर्बादी से प्रभावी ढंग से नषिटने के लिये भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया एवं मैक्सिको जैसे प्रमुख देशों में प्रतनिधि राष्ट्रीय खाद्य अपशषिट अध्ययन की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।

■ सभी क्षेत्रों में सहयोगात्मक प्रयास:

- वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करके SDG 12.3 हासल करने के लिये सटीक माप, नवीन समाधान और सामूहिक कार्रवाई के महत्त्व पर जोर देते हुए, खाद्य बर्बादी को कम करने के प्रयासों में सहयोग करने हेतु सरकारों, शहरों, खाद्य व्यवसायों, शोधकर्ताओं से आग्रह करने की आवश्यकता है।

खाद्य हानि और बर्बादी से संबंधित प्रमुख प्रयास क्या हैं?

■ संवैधानिक प्रावधान:

- यद्यपि भारतीय संवैधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संवैधान के अनुच्छेद 21 में नहिति जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिये की जा सकती है, जसमें भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल हो सकता है।

■ बफर स्टॉक/सुरक्षित भंडार:

- भारतीय खाद्य नगिम (FCI) का मुख्य कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद और वभिन्न स्थानों पर उसके

गोदामों में भंडारण करना है। इसके बाद आवश्यकतानुसार यहाँ से राज्य सरकारों को खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।

■ **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA):**

- यह खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण का कल्याणकारी से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित होने का प्रतीक है।
- NFSA 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को नमिनलखित योजना के तहत कवर करता है:
 - **अंत्योदय अनन योजना:** इसके अंतर्गत सबसे निर्धन लोग शामिल हैं, इन्हें प्रतिमाह प्रतिपरिवार 35 किलोग्राम खाद्यान प्रदान किया जाता है।
 - **प्राथमिकता वाले परिवार (PHH):** PHH श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान प्रदान किया जाता है।

प्रश्न. भुखमरी की समस्या से जूझने के बावजूद, वैश्विक स्तर पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। आपूर्ति शृंखला में खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारणों का विश्लेषण कीजिये और अधिक सतत खाद्य प्रणाली के लिये व्यावहारिक समाधान सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान लेने की पात्रता रखते हैं जो "गरीबी रेखा से नीचे" (बी.पी.एल.) श्रेणी में आते हैं।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत किये जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा वधियक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? (2021)